भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1708

जिसका उत्तर 28 नवम्बर, 2019 को दिया जाना है।

.....

आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में नदियां/बॉंध

1708. श्री एम.वी.वी. सत्यनारायण:

क्या **जल शक्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में चिह्नित की गई नदियों/निर्मित बॉंधों की संख्या का ब्यौरा क्या है;

(ख) आन्ध्र प्रदेश और तेलंगाना में राष्ट्रीयकृत नदियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं अथवा भारतीय अंत:देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) के अंतर्गत उक्त प्रयोजनार्थ कोई निधि व्यय अथवा जारी की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

जल शक्ति और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री (श्री रतन लाल कटारिया)

(क) केंद्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) बृहत/महत्वपूर्ण नदियों के संबंध में हाइड्रोलॉजिकल प्रेक्षण करता है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में कुछ मुख्य नदियां है कृष्णा, गोदावरी, पेन्नार, पलार, तुंगभद्रा, वंशधारा, वेदावती, भीमा, मुसी, मानेर, वर्धा और पेनगंगा । बड़े बांधों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरएलडी), 2019 का रखरखाव सीडब्ल्यूसी द्वारा किया गया है, आंध्र प्रदेश में 149 बड़े बांध हैं और 17 और बड़े बांध निर्माणाधीन है।तेलंगाना में 168 बड़े बांध हैं और 16 और बड़े बांध निर्माणाधीन हैं।

(ख) से (घ) किसी भी नदी को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में राष्ट्रीयकृत नहीं किया गया है। तथापि, 07 (सात) नदियां आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों के बीच से होकर गुजरती है उनकी पहचान की गई है/उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया है और 1 मौजूदा राष्ट्रीय जलमार्ग-4 को शिपिंग और नेवीगेशन संबंधी राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम, 2016 के द्वारा विस्तारित किया गया है। किसी भी राज्य की नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करना, नदियों के राष्ट्रीयकरण से संबंधित नहीं है । राष्ट्रीय जलमार्ग-4 की कृष्णा नदी पर विजयवाड़ा और मुक्तयाला से विकास चरण-। क्षेत्र हेतु पिछले तीन वर्षों में खर्च/जारी की गई निधि का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वित्तीय वर्ष	**लाख रूपये में**
2016-17	95.78
2017-18	1474.00
2018-19	2740.00

*****